

## बेटियों का हक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ अभियान का समाज में सकारात्मक सन्देश जाएगा। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से कन्याओं के पूजन का पावन महोत्सव लोगों को बेटियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देगा। देश में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में भारी अंतर के बावजूद इस सम्बन्ध में लोग जागरूक नहीं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शून्य से छह वर्ष आयु वर्ग के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या केवल 914 है। मध्यप्रदेश में यह अनुपात 912 है। लड़कियों की घटती आबादी से भारी असंतुलन की स्थिति बनेगी। एक अनुमान के अनुसार सन 2050 तक भारत में ढाई करोड़ पुरुषों का विवाह महिलाओं की कमी के कारण नहीं हो सकेगा। जाहिर है, इससे जबरदस्त सामाजिक असंतोष की स्थिति पैदा होगी। इस चिंताजनक स्थिति के बावजूद सुधार की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लिहाजा, राज्य सरकार द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर बेटियों को बचाने का अभियान छेड़ने से स्थिति में बदलाव की आशा की जा सकती है। संतोष का विषय है कि शिवराज सिंह चौहान लम्बे समय से बेटियों के कल्याण की दिशा में सक्रिय है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद अपने क्षेत्र में हर साल बड़ी संख्या में कन्याओं का विवाह करने का पवित्र काम हाथ में लिया था। राज्य की सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने

कन्या दान योजना के तहत बेटियों के विवाह में सरकार का योगदान सुनिश्चित किया है। लाडली लक्ष्मी योजना ने हजारों बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। इस तरह की योजनाएं देश भर में शुरू की जानी चाहिए। वैसे, सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में सरकारों के साथ समाज की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। बेटियों की घटती संख्या हमारे देश में औरतों के साथ हर स्तर पर हो रहे भेदभाव, अन्याय और निर्मम शोषण का नतीजा है। बेटियों को लक्ष्मी और दुर्गा की उपमा देने वाला भारतीय समाज उनके साथ कदम-कदम पर अत्याचार करता है। हालत यह है कि पैदा होने से पहले ही बेटियों की गर्भ में हत्या कर दी जाती है। सरकारों ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए कठोर कानून बनाए हैं। फिर भी लोग बेटों की चाह में कन्या को इस दुनिया में ही नहीं आने देना चाहते हैं। कन्या के साथ परिवार में ही पक्षपात शुरू होता है। पुत्र की तुलना में पुत्री को खान-पान, शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में भेदभाव झेलना पड़ता है।

पुत्र की तुलना में पुत्री को खान-पान, शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में भेदभाव झेलना पड़ता है। अन्याय का यह चक्र घर के बाहर भी चलता है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के विधेयक का सालों से लटके रहना इसका प्रमाण है।

अन्याय का यह चक्र घर के बाहर भी चलता है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के विधेयक का सालों से लटके रहना इसका प्रमाण है। इन सब विषमताओं को दूर करने के लिए सामाजिक क्रान्ति की जरूरत है। वर्यो नहीं हमारे सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संगठन बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए अभियान छेड़ते हैं। बेटियों की घटती आबादी देश को विनाश की कगार पर धकेलने में सक्षम है।